दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 17-07-2025

17 मवेशियों की मौत • हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, चीफ जस्टिस ने दोपहर में स्पेशल बेंच बुलाकर की मामले की सुनवाई, सीएस से मांगा शपथ पत्र

सड़क पर मवेशियों की मौतें: हाई कोर्ट बोला- जिम्मेदारों के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करें घटनाएं

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

रतनपुर- केंदा सड़क पर मंगलवार को 17 मवेशियों के तेज रफ्तार हाइवा से कुचलकर हुई मौतों पर हाई कोर्ट ने बुधवार को संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने दोपहर को स्पेशल डिवीजन बेंच गठित कर मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीजे सिन्हा ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके बाद भी लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पहले भी सुनवाई के दौरान नगर निगम से लेकर पंचायतों तक जवाबदेही तय की गई थी, लेकिन अब भी ऐसी घटनाएं होना दुखद है। अब जवाबदेही तय करते हुए संबंधित अफसरों के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने को कहना पड़ेगा। इस मामले पर हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं।

28 अप्रैल 2025... सड़कों पर मवेशियों की मौतों को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एसओपी लागू करने की जानकारी दी थी। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा था कि यह एसओपी सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए। आवारा पशु केवल ग्रामीणों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह एक सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा है। साथ ही इस मामले पर 31 जुलाई को अगली सुनवाई तय की गई थी। लेकिन मंगलवार को हुई घटना के बाद चीफ जस्टिस और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल के साथ स्पेशल बेंच में बुधवार की दोपहर 2.15 बजे से मामले की सुनवाई की। इस दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि एसओपी लागू की गई है। अब राज्य सरकार नगरीय निकायों से लेकर पंचायतों तक इस तरह की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने जा रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ जवाबदेही तय न करें, बल्कि जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित अफसर- कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया जाए।

सरकार ने बताया था- परिवहन विभाग ने बनाया है एसओपी

28 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र दिया था। इसमें बताया था कि 21 जनवरी 2025 को परिवहन विभाग ने एसओपी का ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड किया था और आम जनता से सुझाव मांगे थे। सुझावों के बाद एसओपी को अंतिम रूप दिया गया। 24 अप्रैल 2025 को लागू करने के लिए पत्र जारी किया गया।

कहा- गाड़ियों में मवेशी पकड़ रहे, सड़क पर क्यों नहीं?

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि गाड़ियों में मवेशियों का परिवहन के मामले पकड़े जाते हैं। ऐसा करने वालों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर नजर आने वाले मवेशियों के मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। हाई कोर्ट के लगातार मॉनिटरिंग के बाद भी ऐसी घटनाएं दुखद हैं।

जनहित याचिकाओं पर अब तक 33 बार हो चुकी सुनवाई

हाई कोर्ट में वर्ष 2019 में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं लगाई गई थीं। इसमें सड़कों की खराब दशा, सड़क पर बैठे हुए मवेशियों से होने वाली परेशानी, सड़क हादसों में मवेशियों की मौत समेत कई विषय उठाए गए थे। तब से अब तक हाई कोर्ट इस मामले पर 33 बार सुनवाई कर चुका है, लेकिन हालत जस के तस हैं।

पीडब्ल्यूडी ने दिए थे दो सुझाव, अब तक पहल नहीं

पिछली सुनवाई में बताया गया था कि बिलासपुर जिले के सकरी-खम्हरिया रोड पर 3 से 5 जगहों पर अक्सर रात 12 से 1 बजे के बीच मवेशी सड़क पर जमा हो जाते हैं। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बाड़ निर्माण और मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए जमीन चिह्नित करने की सिफारिश की है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को बाड़ निर्माण के लिए खर्च का अनुमान भी भेजा गया है। लेकिन चार महीने बाद भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा सकी है।

इधर, मवेशी मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर

बिलासपुर | हाइवा से कुचलकर 17 गायों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी चालक के साथ-साथ मवेशी मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर की है। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 291 के तहत कार्रवाई की गई है। रतनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनएच 45 पर सोमवार देर रात ग्राम बारीडीह में तेज रफ्तार से हाइवा ने सड़क पर बैठी गायों को कुचल दिया। इससे 17 की मौके पर ही मौत हो गई । इस मामले में रतनपुर पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के साथ-साथ मवेशी मालिक पर एफआईआर किया है। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने संबंधित गांवों के सरपंचों के साथ मिलकर एक कमेटी तैयार की गई है।